दिनांक 31.01.2014 को आयोजित IFAD-ILSP परियोजना स्टीयरिंग कमेटी (PSC) की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 31.01.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना स्टीयरिंग कमेटी (PSC) की तृतीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में स्टीयरिंग कमेटी के निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

उपस्थित सदस्य:–

1. श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, परियोजना स्टीयरिंग कमेटी।
2. श्री राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री विनोद फोनिया, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती दमयन्ति दोहरे, अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री आर०सी० शर्मा अपर सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री विजय कुमार, परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU-ILSP).
7. श्री मनोज चन्द्रन, अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्रीमती नीना ग्रेवाल, परियोजना निदेशक, ILSP-PSWMD, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
9. डॉ० कमल मल्होत्रा, निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री डी०पालीवाल, संयुक्त निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
11. श्री पवन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
12. श्री अमित श्रीवास्ताव, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून (विशेष आमंत्री)।

अन्य प्रतिभागी :

1. श्री पी०के० सिंह, उप निदेशक, जलागम प्रबन्धन निदेशालय, देहरादून।

परियोजना स्टॉफ

1. श्री ललित कुमार, वित्त प्रबन्धक।
2. श्री राजीव सिंघल, प्रबन्धक, ज्ञान प्रबन्धन।
3. श्री रईस अहमद, प्रबन्धक–जेण्डर एवं संस्थाएं।
4. श्री तरूण कुमार अग्रावाल, सलाहकार वित्त विकास।

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की तृतीय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त परियोजना के क्रियाकलापों व कार्य प्रगति के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया। बिन्दुवार बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

कार्यसूची PSC:3.01 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की दिनांक 04.02.2013 को आयोजित द्वितीय बैठक के सम्बन्ध में।

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 04.02.2013 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में ऐजेण्डा पर चर्चा की गयी तथा सदस्यों द्वारा उन पर विचार प्रकट किये गये, जिसके अन्तर्गत समेकित आजीविका सहयोग परियोजना को Re-structuring करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसका कि कदाचित कार्यवृत्त जारी नहीं किया गया था। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची PSC:3.02 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रगति आख्या।

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुमोदित AWPB कुल रु॰90.0576 करोड़ के सापेक्ष संशोधित AWPB कुल Rs.24.49 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। संशोधित AWPB के सापेक्ष माह दिसम्बर 2013 तक कुल रु॰4.81 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया है। उक्त के क्रम में लेखा कार्य हेतु Double Entry Accounting System Tally को Customize कर लिया गया है एवं Web based MIS को भी विकसित किया जा चुका है, MIS को UGVS के **website : www.ugvs.org** पर देखा जा सकता है।

कार्यसूची PSC:3.03 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2013–14 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का अनुमोदन

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए मूल वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट कुल **रु॰90.0576 करोड़** ***(रू0 नब्बे करोड पांच लाख छियत्तर हजार मात्र)*** निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु संशोधित वाषिक कार्ययोजना एवं बजट कुल **रु॰24.49 करोड़** प्रस्तावित किया गया है। दिनॉक 01.02.2012 को सम्पादित वित्तीय अनुबन्ध के Schedule1Part-II के पैरा 6.2 के अनुसार परियोजना प्रबन्ध कमेटी के द्वारा परियोजना के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का अनुमोदन किया जाना है। उक्त के क्रम में निम्न प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है:–

"संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का संज्ञान लिया गया तथा रु0 24.49 करोड़ (रू॰ चौबीस लाख उन्चालीस करोड़ मात्र) की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना व बजट को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

INDIA: UTTARAKHAND INTEGRATED LIVELIHOODS SUPPORT PROJECT (ILSP)
Revised Estimates (RE) AWPB: 2013-14
SUMMARY

Acct	COMPONENT	Approved Budget 2013-14	Revised Budget 2013-14		Financing Plan (000 INR)				
					GoUK		IFAD (Reimbursement)	Banks	Bene
		Amt (,000)	No. of Programme	Amt (,000)	RD Deptt	Agriculture Deptt			
10000	**Food Security & Livelihood Enhancement**	***241,852***	***8,644***	***166,267***	***29,514***	***0***	***132,931***	***0***	***3,822***
20000	**Participatory Watershed Development**	**589,150**	**551**	**55,400**	**6,775**	**21,086**	**27,154**	**0**	**385**
30000	**Livelihoods Finance**	***45,478***	***392***	***11,881***	***2,693***	***0***	***2,654***	***6,350***	***185***
40000	**Project Management**								
41000	Central Project Coordination Unit -CPCU	3,707	18	776	388		388	0	0
42000	M&E and Knowledge Management -UGVS	14,499	222	8,439	1,712		6,727	0	0
43000	M&E and Knowledge Management -WMD	5,890	80	2,145	749		1,397	0	0
	Subtotal Project Management	***24,096***	***320***	***11,360***	***2,848***	***0***	***8,512***	***0***	***0***
	G.Total	**900,576**	**9,907**	**244,908**	**41,829**	**21,086**	**171,251**	**6,350**	**4,392**

कार्यसूची PSC:3.04 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का अनुमोदन

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना के दृष्टिगत **रु॰130.90 करोड़** का बजट प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के मध्य दिनॉक 01.02.2012 को सम्पादित वित्तीय अनुबन्ध के Schedule-1 Part-II के पैरा 6.2 के अनुसार परियोजना संचालन समिति के द्वारा परियोजना के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का अनुमोदन किया जाना है।

INDIA: UTTARAKHAND INTEGRATED LIVELIHOODS SUPPORT PROJECT (ILSP)
Budget Estimates (BE): 2014-15
SUMMARY

Acct	COMPONENT	Total Amt. ('000)		Financing Plan Amt. ('000)			
		AWPB 2014-15		GoUK	IFAD (Reimbursement)	Banks	Bene
		Units	Amt (,000)				
10000	**Food Security & Livelihood Enhancement**	***30,237***	***799,843***	***87,014***	***673,917***	***0***	***38,910***
20000	**Participatory Watershed Development**	***2,892***	***302,940***	***85,752***	***194,408***	***0***	***22,780***
30000	**Livelihoods Finance**	***3,134***	***173,768***	***8,204***	***44,423***	***112,750***	***8,391***
40000	**Project Management**						
41000	Central Project Coordination Unit-(CPCU)	74	6,102	1,776	4,326	0	0
42000	M&E and Knowledge Management-UGVS	499	16,604	3,897	12,707	0	0
43000	M&E and Knowledge Management-WMD	196	9,730	2,029	7,701	0	0
	Subtotal Project Management	***769***	***32,436***	***7,702***	***24,734***	***0***	***0***
	Total	***37,032***	***1,308,987***	***1,88,671***	***937,482***	***112,750***	***70,081***

सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सुझाव दिया गया कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार धन का उपयोग बाजार पहुंच, अवस्थापना विकास व आजीविका वित्तपोषण की गतिविधियों में किया जाय। जिसमें वर्ष 2013–14 (संशोधित AWP&B): Rs.23.41 करोड़ तथा 2014–15 (प्रस्तावित AWP&B) : Rs.112.61 करोड़ की बजट के माध्यम व्यय होने वाली धनराशि सम्मिलित है। उक्त के क्रम में निम्न प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है:–

"संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 की समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना (AWPB) का संज्ञान लिया गया तथा रु0 130.90 करोड़ (रू॰ एक सौ तीस करोड़ नब्बे लाख मात्र) का वार्षिक कार्ययोजना व बजट को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

परियोजना संचालन समिति (PSC) द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्राविधान के अतिरिक्त कार्यसूची मद 3.05 में इंगित कार्यो की detailing कर, यथा आवश्यकता आपदा क्षेत्रों के specific need assessment को दृष्टिगत रखते हुए IFAD-ILSP प्रोजेक्ट/Financing Agreement के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को वर्ष 2014–15 की AWPB में सम्मिलित किया जाय।

(कार्यवाही : परियोजना समन्वयक, ILSP)

कार्यसूची PSC:3.05 :

सहभागी जलागम विकास मद में से 28 मिलियन डॉलर (रू0 161.00 करोड़) की धनराशि को आजीविका संवर्द्धन, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण, एवं बाजार सुदृढ़ीकरण मदों में Re-allocate करने के संबंध मे।

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा माननीय सदस्यों के संज्ञान मे लाया गया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं आईफैड को सहभागी जलागम विकास मद में से 28 मिलियन डॉलर (i.e रू० 161.00 करोड़) की धनराशि को जनपद रूद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ व देहरादून के चिह्नित विकासखण्डों में आजीविका संवर्द्धन, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण, एव बाजार सुदृढ़ीकरण मदों में Re-allocate करने के लिये प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार मे मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त अनुमोदन के उपरान्त प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

श्री राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि परियोजना द्वारा आपदा प्रभावित जनपदों में राज्य सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा राहत कार्यो का संज्ञान लेते हुए आजीविका संवर्द्धन (Livelihoods Enhancement) कार्यो को करने हेतु उच्च प्राथमिकता पर कार्यो की detailing की जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आपदा प्रभावी जनपदों में sustainable livelihoods को site specific need assessment करते हुए कार्ययोजना बनाई जाय तथा इस हेतु मुख्यालय से टीम का गठन कर आपदा परियोजना जनपदों का भ्रमण किया जाय तथा आपदा क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना तैयार कर शासन स्तर पर गठित High Powered Committee के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही : परियोजना समन्वयक, ILSP)

कार्यसूची PSC:3.06 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना प्रबन्धन कमेटी में अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को अध्यक्ष तथा सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को उपाध्यक्ष नामित किये जाने के सम्बन्ध मे।

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना की स्टीयरिंग कमेटी की दिनांक 3.10.2012 को आयोजित प्रथम बैठक में की गयी संस्तुति पर शासन द्वारा ग्राम्य विकास अनुभाग के शासनादेश सं0 XI/2261/12/56(21) 2011 दिनांक 23 नवम्बर 2012 के द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे परियोजना प्रबन्धन कमेटी का गठन किया गया।

माननीय सदस्यों के संज्ञान मे लाना है कि दिनांक 06 अगस्त 2013 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आइफैड मिशन के साथ परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक के Agreed Action की बिन्दु सं0 24 मे निर्णय लिया गया है कि प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को परियोजना प्रबन्धन कमेटी का अध्यक्ष नामित किया जाय एवं सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन जो कि वर्तमान मे कमेटी के अध्यक्ष है, को परियोजना प्रबन्धन कमेटी का उपाध्यक्ष नामित किया जाय। माननीय सदस्यों को उक्त निर्णय से अवगत कराते हुये उक्त के निर्णय क्रम में निम्न प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है–

"संकल्पित कि शासनादेश सं0 XI/2261/12/56(21) 2011 दिनांक 23 नवम्बर 2012 के द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु गठित परियोजना प्रबन्धन कमेटी को संशोधित करते हुये सचिव, ग्राम्य विकास के स्थान पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को अध्यक्ष नामित किया जाए तथा सचिव ग्राम्य विकास को अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष नामित किया जाए। उक्त कमेटी में सचिव जलागम को सह अध्यक्ष के स्थान पर सदस्य के रूप मे नामित किया जाए। सह भी संकल्पित कि कमेटी मे अन्य सदस्य यथावत बने रहेंगें।"

"यह भी संकल्पित कि उक्त के शासनादेश हेतु सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध कर किया जाय।"

(कार्यवाही : सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन)

कार्यसूची PSC:3.07:

शासन स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन से संबंधित विचाराधीन प्रस्ताव।

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत शासन स्तर पर महत्त्वपूर्ण विचाराधीन नीतिगत निर्णय/प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख संज्ञानार्थ रखे गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा ILSP के क्रियान्वयन से संबंधित विचाराधीन प्रस्ताव में लग रहे समय को गम्भीरतापूर्वक लिया गया एवं निर्देशित किया कि समस्त लंबित कार्यो को शासन स्तर पर प्रशासनिक विभाग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करा लिया जाय।

अग्रेत्तर IFAD-ILSP में PIM में प्राविधानित एवं AWPB में नियोजित कार्यो के निष्पादन हेतु तीन PIAs (UGVS, PSWMD, UPASaC) में अपनी सोसाइटी/कम्पनी के अन्तर्गत स्वीकृत नियमों के तहत संबंधित परियोजना निदेशक/प्रबन्ध निदेशक तथा केन्द्रीय परियोजना समन्वयक इकाई में परियोजना समन्वयक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगें, जिन मामलों में IFAD का Prior review हो चुका है उन पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष प्रबन्धन समिति/Board of Directors (UGVS/PSWMD/UPASaC) के स्तर पर ले लिया जाय। मुख्य कार्यक्रम प्रबन्धक, UGVS एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008/IFAD Procurement Rules के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अंतर्गत कार्य किये जायेगें एवं परियोजना कार्यो का वाह्य ऑडिट/CAG द्वारा भी किया जाता है।

उक्त क्रम में यह अनुरोध किया गया कि शासन स्तर से वित्त नियंत्रक की तैनाती की जाये, जिससे परियोजना कार्यो को सुगमतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से किया जा सकें। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस संबंध में प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा शासन स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही : सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन)

कार्यसूची PSC:3.08:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू॰एस॰आर॰एल॰एम॰ को परियोजना प्रबन्धन कमेटी मे सदस्य के रूप मे नामित करने के संबंध मे।

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा माननीय सदस्यगणों के संज्ञान मे लाया गया कि सचिव, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यू॰एस॰आर॰एल॰एम॰ द्वारा पत्रांक 47/16/एन॰आर॰एल॰एम॰/2013 दिनांक 11 नवम्बर 2013 के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू॰एस॰आर॰एल॰एम॰ को समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की कार्यकारिणी समिति मे सदस्य के रूप मे नामित करने हेतु निर्देश दिये गये है । उक्त के क्रम मे निम्न प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है–

"संकल्पित कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू॰एस॰आर॰एल॰एम॰ को समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना प्रबन्धन कमेटी मे सदस्य के रूप मे नामित किया जाता है।

यह भी संकल्पित की सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन से उक्त के सम्बन्ध मे आवश्यक शासनादेश जारी करने का अनुरोध कर लिया जाय"

(कार्यवाही : सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन)

कार्यसूची PSC:3.09:

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के नाम (हिन्दी में) में संशोधन हेतु प्रस्ताव :–

परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा Integrated Livelihood Support Project (समेकित आजीविका सहयोग परियोजना) का हिन्दी में नाम "**एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना**"संशोधित किया जाना प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा Integrated Livelihood Support Project (समेकित आजीविका सहयोग परियोजना) का हिन्दी में नाम "**एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना**"संशोधित किये जाने हेतु उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

सदस्यों द्वारा अन्य कोई बिन्दु नहीं रखा गया एवं परियोजना समन्वयक, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यगणों का बैठक में प्रतिभाग करने पर धन्यवाद व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(विनोद फोनिया)
सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं
सचिव, परियोजना संचालन समिति,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना–ILSP

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष, परियोजना संचालन समिति,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना–ILSP

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (IFAD- ILSP)
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU)
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
216, पंडितवाड़ी, फेज–II, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष 0135–2773800

पत्रांक 60 /PSC /2013–14 दिनांक 26/02/2014

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
4. सचिव, जलागम, देहरादून।
5. सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
12. परियोजना निदेशक, ILSP-PSWMD उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून (विशेष आमंत्री)।
15. मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून (विशेष आमंत्री)।

26/02/2014
(विजय कुमार)
परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)